२६१/५४

संख्या 1180/बीस–8/2017–5(27)2016

प्रेषक

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
उत्तराखण्ड,
पुलिस मुख्यालय, देहरादून।

गृह अनुभाग–8 देहरादून : दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय :–पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना 2017–18 की मुख्य कार्ययोजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया, पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–दो–55/2017 दिनांक 04.10.2017 एवं डीजी–छः–857/2017 दिनांक 12.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अनुदान संख्या–10 लेखाशीर्षक 2055–पुलिस–00–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0103–पुलिस एवं अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना (सी.सी.टी.एन.एस.) के मानक मदों में हो रही बचतों से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना 2017–18 की मुख्य कार्ययोजना (90 प्रतिशत केन्द्रांश) की धनराशि हेतु चालू वित्तीय वर्ष में संलग्न बी.एम.–9(भाग–एक) प्रपत्रों के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल **रूपये 365.00 लाख (रूपये तीन करोड़ पैंसठ लाख मात्र)** की धनराशि की व्यवस्था करते हुये, धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– धनराशि का व्यय पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–दो–55/2017 दिनांक 04.10.2017 में किये गये प्रस्तावानुसार (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप) निम्न मदों हेतु किया जायेगा :–

क.सं.	मद	धनराशि (लाख में)
1	14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का कय	114.25
2	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	250.75
	योग	**365.00**

4– धनराशि का व्यय करते समय भारत सरकार द्वारा निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों व शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा मात्र वही उपकरण आदि क्रय किये जायेंगे जिनका अनुमोदन स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है।

5– शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा शासकीय धन के आहरण सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

6– एक बार में उतनी ही धनराशि का आहरण किया जाय जितनी की तात्कालिक आवश्यकता हो। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं उपयोगिता की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगा।

7– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

8– किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पॉच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.........2

9— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017—18 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—10 के मुख्य लेखाशीर्षक—2055—पुलिस के अन्तर्गत संलग्न बी.एम. प्रपत्र—09 (भाग—01) के कॉलम—01 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत कॉलम—04 में हो रही बचतों से वहन करते हुए कॉलम—05 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 162/मतदेय /XXVII(5)/2017 दिनांक 09 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से तथा अलॉटमेंट आई.डी. संख्या S1711100120 दिनांक 17.11.2017 नवम्बर, 2017 द्वारा जारी किये जा रहें है।

संलग्नकः—बी.एम.—09

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या /बीस—8/2017—5(27)2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2— निदेशक, कोषागार, 23—लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— बजट अधिकारी, साईबर कोषागार देहरादून।
5— निदेशक, N.I.C. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Akhilesh
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव